**मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा यमुना नदी लॉट नं–23/1 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.09.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान राजकीय इण्टर कॉलेज, बाड़ावाला, विकास नगर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।**

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–23/1 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में राजकीय इण्टर कॉलेज, बाड़ावाला, विकास नगर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा यमुना नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 16.06.2014 व संशोधित तिथि 10.09.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के

प्रस्तुतीकरण आपत्तियाँ

माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुकम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 30.035 है0 है। जो कि ग्राम डुमेट, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 4.11 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री रोहित सिंह पुण्डीर (पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख), निवासी बाड़ावाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया एवं नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा लॉट नं–23/1 व 23/2 की सीमायें कहां से कहां तक है? एवं सरकार द्वारा आंवटित होने वाले पट्टे प्रस्तावित हैं या रिलीज हो चुके है, के सम्बन्ध में पूछा गया। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम स्वयं करें। पूर्व में भी गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा नियमपूर्वक खनन कार्य किया गया। श्री पुण्डीर द्वारा कहा गया कि खनन कार्य शुरू होने से पूर्व खनन सामग्री के मूल्यों के मानक निर्धारित किये जाएं, खनन सामग्री में ग्राम सभा को छूट प्रदान की जाए तथा सामुदायिक एवं धार्मिक कार्य हेतु खनन सामग्री निशुल्क मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पट्टे आंवटित होने पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ग्रामसभा की भूमि पर खनन के लाभांश का 10 प्रतिशत भाग मिलना चाहिए, जिससे तटबंधन का निर्माण एवं विकास कार्य में खर्च किया जा सके। उनके द्वारा कहा गया कि निजी भूमि पर खनन सामग्री के संग्रहण हेतु अनुमति मिलनी चाहिए।

2. **श्री राजेन्द्र सिंह पंवार (पूर्व प्रधान), निवासी बाड़ावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और पूछा गया कि ग्रामवासियों को निर्माण कार्यों हेतु खनन सामग्री में कितने प्रतिशत की छूट का प्राविधान है? उनके द्वारा कहा गया कि ग्रामसभा को धार्मिक एवं सामुदायिक निर्माण कार्य हेतु खनन सामग्री निशुल्क मिलनी चाहिए एवं स्थानीय बेरोजगारों को उनकी शिक्षा के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए।

3. **श्री संदीप चौहान (बी.डी.सी. सदस्य), निवासी कटापत्थर** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि नदियों में खनन कार्य से पूर्व खनन सामग्री के मूल्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा पूछा गया कि खनन सामग्री का प्रति घनमीटर मूल्य क्या होगा? खनन कार्य में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

4. **श्री आनन्द सिंह (ग्राम प्रधान) निवासी लांघा** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया कहा गया कि नदियां खनन हेतु खुलनी चाहिए एवं खनन सम्बन्धी समस्त मानकों का पालन करते हुए खनन कार्य किया जाना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि खनन खुलने से खनन सामग्री क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी, जिससे दूर से खनन सामग्री मंगाने पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खनन से पूर्व खनन सामग्री के मूल्य मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री आनन्द सिंह द्वारा पूछा गया कि विकास कार्य हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्या

योजनाएं/कार्यक्रम होंगे? अवैध खनन को रोकने के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम के क्या मानक होंगे? उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे अवैध खनन नहीं होगा, क्योंकि अवैध खनन होने से पूर्व वर्ष में आयी बाढ़ से कृषकों के खेतों के साथ–साथ मकान भी बह गये थे।

5. **श्री बलबीर सिंह चौहान, निवासी बाड़ावाला** द्वारा कहा गया कि ग्रामवासियों की निजी भूमि पर पिल्लरबन्दी की जाए, जिससे अवैध खनन न हो। उनके द्वारा कहा गया कि नदियों में रात के समय चोरी–चुपे अवैध खनन हो रहा है। श्री चौहान द्वारा कहा गया कि नदियों में वैज्ञानिक तरीके से खनन होना चाहिए तथा खनन सामग्री में ग्रामसभा को रायल्टी में छूट प्रदान की जाए।

   अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।

मण्डल विकास
र्य वैज्ञानिक
न होने

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

| | | |
|---|---|---|
| (सुनील डबराल) | (सुभाष पंवार) | (प्रताप सिंह शाह) |
| अनु0 सहा0 | अ0 अभियन्ता | अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) |
| | | देहरादून |

यमुना नदी के लॉट नं- 23/1 में चुगान हेतु दिनांक 10/09/2014 प्रातः 11.00 बजे स्थान राजकीय इन्टर कॉलेज बड़ोवाला, विकासनगर, जिला देहरादून में चुगान/खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लोक सुनवाई में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका :-

| क्र० | नाम व पद | पता | सम्पर्क सूत्र | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| (1) | श्री प्रताप सिंह शाह (Admn. F/A) | जिला प्रशासन देहरादून | 9756665555 | [signature] |
| (2) | श्री सुभाष पंवार (उ० अभि०) | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून | 9410393545 | [signature] |
| (3) | श्री सुनील डबराल (अनु० सहा०) | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून | 9633837020 | [signature] |
| 4 | गोविन्द चौहान उपप्रधान इन्न | | 9456122801 | [signature] |
| 5 | अर्जुनसिंह जिलापंचायत सदस्य अम्बाडी | | 805700245 | [signature] |
| 6 | राजेन्द्र वर्मा | बाडवाला | 9411172055 | [signature] |
| 7 | विजय कुमार | प्रधान प्रतिनिधि बाडवाला | 9756534545 | [signature] |
| 8 | रोहित सिंह पुण्डीर | ग्राम - बाड़वाला | 9412403317 | [signature] |
| 9 | रमेश | बाडवाला | — | रमेश |
| 10 | मुकेश चौहान | अम्बाडी | 9627124533 | [signature] |
| 11 | [illegible] चौहान | प्रधान ग्राम पंचायत अम्बाडी | [illegible] | [signature] |

| क्र०सं० | नाम व पद | पता | सम्पर्क सूत्र | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 12 | इस्तखार हुसैन बेग | प्रेम नगर | — | [signature] |
| 13 | अय्यूब अली | अम्बाड़ी | 9760752496 | [signature] |
| | सुगनचन्द | अम्बाड़ी | 8755438228 | [signature] |
| 14 | विवेक शर्मा | डाकपत्थर | 7351101010 | [signature] |
| 15 | अनिल कुमार | ग्राम पंचायत अम्बाड़ी | 8006018665 | [signature] |
| 16 | रतन सिंह | [illegible] अम्बाड़ी | 9458381385 | [signature] |
| 17 | सुरेन्द्र सिंह | अम्बाड़ी | 8126295941 | [signature] |
| 18 | विरपालसिंह | बाड़वाला | 9627684077 | विरपाल |
| 19 | रवनील तोमर | कटापत्थर | 7500521652 | [signature] |
| 20 | Girish Chandra | Barwala | 8869005052 | [signature] |
| 21 | Arvind Bhatt | Badwala | — | [signature] |
| 22 | Mohan Singh Rana | Dhamet | 9837403346 | [signature] |
| 23 | Vijay Singh Tomar | Dumet | 8126840880 | [signature] |
| 24 | Amit Tomar | Baddwala | [illegible] | [signature] |
| 25 | विरेन्द्र सिंह | कटापत्थर | 9917764926 | VSingh |
| 26 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [signature] |

| नाम व पद | पता | सम्पर्क सूत्र | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| आशा | बाडीवाला | — | आशा |
| 29 कमला | बाडीवाला | — | कमला |
| 30 सीमा देवी | बाडीवाला | — | सीमा देवी |
| 31 कला थापा | बाडीवाला | → | [illegible] |
| 32 गुलाब | बाडीवाला | → | गुलाब |
| 33 B.S Rawat | G.M.V.N. [illegible] | | [illegible] |
| 34 N.S [illegible] | G.M.V.N. | | [illegible] |
| 35 [illegible] | [illegible] | | [illegible] B.S. |
| 36 Deepak Tomar | Kalsi | | Deepak |
| 37 Swetank Pundir | Barwala | | Pundir |
| 39 श्याम सिंह | Barwala. | | श्यामसिंह |
| 40 [illegible] नेगी | बाडीवाला | | [illegible] |
| 41 Mahendra Tomar | Harodala | | [illegible] |
| 42 अक्षय तोमर बाडीवाला | बाडीवाला | | अक्षय तोमर |
| 43 [illegible] Tomar | [illegible] | | [illegible] |

| क्रमांक | नाम व पद | पता | सम्पर्क सूत्र | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 44 | अजय शर्मा | डुमेट | | |
| 45 | कृष्णपाल तोमर | कालसी गेट | | |
| 46 | सुरेन्द्र शर्मा | डुमेट | — | |
| 47 | नारायणदत्त जोशी | डुमेट | | |
| 48 | दलाराम | डुमेट | | |
| 49 | Sandeep Tomar | Kutafather | | |
| 50 | विरेन्द्र सिंह | इडोवाला | 96272 3[illegible]90 | |
| 51 | विकास तोमर | इडोवाला | 9410572062 | |
| 52 | मनोज रावत | बाडवाला | 7895050284 | |
| 53 | प्रमुखपाल | " | | |
| 54 | श्रीमती रेशमी देवी (प्रधान) | पपड़ियान | 7579154180 | |
| 55 | देवपाल सिंह रावत (प्रधान) | तौली | 9410993053 | |
| 56 | [illegible] सिंह तोमर (प्रधान)<br>[illegible] चौहान Ex B.D.C Member | लौहारी<br>तौली + रायपुर | 9456136968<br>975668[illegible] | |
| 57 | M B.S Danu GMVN ftd | | 9412403291 | |
| 58 | | | | |